वित्त समिति की तेहरवीं बैठक दिनांक 04.07.2013 का
कार्यवृत्त

प्रो0 दुर्ग सिंह चौहान मा0 कुलपति महोदय ,उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून की अध्यक्षता में वित्त समिति की तेहरवीं बैठक प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय कक्ष में दिनांक 04.07.2013 को दिन बुधवार समय 11.00 बजे पूर्वान्ह से आयोजित/सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नवत् रही :–

01	प्रो0 दुर्ग सिंह चौहान कुलपति, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून	अध्यक्ष
02	श्री राकेश शर्मा, प्रमुख सचिव, वित्त एवं तकनीकी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
03	श्री शैलेष बगोली, अपर सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
04	डॉ0 एम0सी0जोशी, अपर सचिव वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन।	प्रतिनिधि वित्त विभाग
05	श्रीमति माया, उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड शासन	प्रतिनिधि सदस्य
06	श्री ए0के0स्वामी प्राचार्य, जी0बी0पी0ई0सी0 घुड़दौड़ी, (गढ़वाल)	सदस्य
07	श्री प्रमोद कुमार जोशी वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून	सदस्य/संयोजक
08	श्री अवनीश जैन कुलसचिव, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून	सदस्य

उच्च शिक्षा विभाग, न्याय विभाग उत्तराखण्ड शासन एवं निदेशक, विपिन चन्द्र त्रिपाठी इंजीनियरिंग संस्थान, द्वाराहाट (अल्मोड़ा) के प्रतिनिधि कतिपय कारणों से बैठक में उपस्थित नही हो सके।

दिनांक 04.07.2013 को सम्पन्न वित समिति की तेहरवीं बैठक का कार्यवृत्त
(Agenda)

155

बिन्दु संख्या	विषय
01	**दिनांक 04.07.2013 को सम्पन्न वित समिति की तेहरवीं बैठक के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि एवं तत्सम्बन्धी कृत कार्यवाही ।** (क) सर्वसम्मति द्वारा वित्त समिति की विगत बैठक दिनांक 19.11.2012 की सम्पुष्टि की गयी। (ख) बैठक मे उपस्थित मा0 सदस्यों द्वारा कृत कार्यवाही का अवलोकन करते हुये अनुमोदन किया गया।
02	**सुद्धौवाला में निर्माणाधीन प्रशासनिक भवन एवं संगत निर्माण कार्यो की नवीनतम भौतिक/वित्तीय प्रगति विवरण सज्ञांनार्थ एवं निर्माण कार्य पूर्ण कराने की विहित अत्तिम तिथि 31.03.2013 के स्थान पर माह जौलाई,2013 तक विस्तारित किये जाने एवं कार्य में त्वरित प्रगति लाने के दृष्टिगत कुल स्वीकृत धनराशि रू0 3532.20 लाख के सापेक्ष 31.03.2013 को भुगतान हेतु शेष धनराशि रू0 532.20 लाख में से रू0 250.00 लाख माह जून,2013 में कार्यदायी संस्था को प्रदत्त धनराशि हेतु कार्योत्तर स्वीकृति एवं इसी कार्य हेतु शेष धनराशि वर्ष 2013–14 में प्रस्तावित व्यय रू0 282.20 लाख का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।** **विनिश्चय :–** बैठक मे उपस्थित मा0 सदस्यों द्वारा, प्रस्तुत भौतिक/वित्तीय प्रगति का अवलोकन किया गया तथा भवन पर अब तक कृत निर्माण कार्यो पर, संतोष प्रकट किया गया । इस क्रम में कार्यदायी संस्था के परियोजना प्रबन्धक, द्वारा अपरिहार्य स्थिति में दिनांक 31.03.2013 के स्थान पर भवन पर कार्य पूर्ण किये जाने की समय सीमा दिनांक 31.07.2013 तक विस्तारित किये जाने हेतु प्रस्तुत औचित्य के दृष्टिगत एवं कार्यहित में विस्तारित अवधि के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति द्वारा अनुमोदन किया गया। इसी क्रम में प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा द्वारा आलोच्य भवन सुनिश्चित ही विस्तारित अवधि अर्न्तगत पूर्ण कराते हुये एवं ग्राहक विभाग को दिनांक 31.07.2013 तक हस्तगत किये जाने की अपेक्षा की गयी। साथ ही अवगत कराया गया कि वर्णित भवन का उद्घाटन मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 15.08.2013 किया जाना प्रस्तावित है। इसी क्रम में बैठक मे उपस्थित मा0 सदस्यों द्वारा उक्त भवन निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था को माह जून 2013 में प्रदत्त किस्त रू0 250.00 लाख पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुये अवशेष धनराशि रू0 282.20 लाख का अंतिम भुगतान कार्यपूर्ण होने एवं भवन हस्तगत होने के उपरान्त एम0ओ0यू0 एंव संगत नियमानुसार अपेक्षित औपचारिकताओं की पूर्ति कराने के उपरान्त ही अंतिम किस्त अवमुक्त किये जाने पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
03	**मा0 कुलपति महोदय के नवनिर्मित कार्यालय कक्ष में कार्यदायी संस्था के माध्यम से वर्ष 2012–13 में गठित/स्वीकृत फर्नीशिंग कार्य आगणंन रू0 10.00 लाख के सापेक्ष 2012–13 में कृत व्यय की कार्योत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ ।** **विनिश्चय :–** इस क्रम में बैठक में उपस्थित मा0 सदस्यों द्वारा उक्त वर्णित कार्य पर वित्त समिति से स्वीकृति की प्रत्याशा में कृत व्यय रू0 10.00 लाख पर कार्योत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
04	**राजीव गांधी अन्तर विश्वविद्यालय प्रथम युवा महोत्सव 2013 के आयोजनार्थ विश्वविद्यालय निधि से वचनबद्ध एवं दून विश्वविद्यालय, देहरादून को प्रदत्त कुल धनराशि रू0 30.00 लाख (रू0 तीस लाख मात्र) वित्त वर्ष 2012–13 में रू0 10.00 लाख एंव 2013–14 मे रू0 20.00 लाख) पर वित्त समिति से कार्योत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।**

	साथ ही संज्ञानार्थ प्रस्तुत है कि उक्त धनराशि की वापसी की शर्त पर प्रदत्त की गई थी। जिसके कम में प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। **विनिश्चय** :– इस क्रम में बैठक में उपस्थित मा0 सदस्यों द्वारा उक्त वर्णित प्रस्ताव का अध्ययन करने के उपरांत आलोच्य मद में वित्त समिति से स्वीकृति की प्रत्याशा में किये गये व्यय रू0 30.00 लाख (रू0 तीस लाख मात्र) के कार्योत्तर स्वीकृति के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति द्वारा अनुमोदन किया गया।
05	**महिला तकनीकी संस्थान सुद्धौवाला के प्रथम चरण कार्य रू0 10.00 करोड़ (रू0 05.00 करोड़ अंश यू0टी0यू0 व रू0 05.00 करोड़ शासकीय अंश) के सापेक्ष इसी संस्थान हेतु तात्कालिक आवश्कता के दृष्टिगत पर्याप्त प्रयोगशाला, 04 कमरे एवं अन्य संगत कार्यो हेतु कार्यदायी संस्था के माध्यम से गठित /भवन निर्माण समिति द्वारा तकनीकी रूप से स्वीकृत आगणंन रू0 250.24 लाख बावत् स्टील फेब्रीकेटैड स्ट्रचर निर्माण के सापेक्ष माह मई,2013 में प्रदत्त प्रथम किस्त रू0 75.00 लाख की कार्योत्तर स्वीकृति एंव इसी कार्य हेतु शेष धनराशि रू0 175.24 लाख वर्ष 2013–14 में व्यय किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।** **विनिश्चय** :– इस क्रम में बैठक में उपस्थित मा0 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव का अध्ययन करने के उपरांत वित्त समिति से स्वीकृति की प्रत्याशा में किये गये व्यय रू0 75.00 लाख (रू0 पिचहत्तर लाख मात्र) पर सम्यक विचारोपरांत प्रस्तावित कार्योत्तर स्वीकृति के प्रस्ताव पर अनुमोदन करते हुये अग्रेत्तर शेष भुगतान कार्य की प्रगति के आधार पर तथा अन्तिम भुगतान से पूर्व एम0ओ0यू0 एवं संगत नियमों की पूर्ति उपरान्त ही देय होगा।
06	**सीमांत तकनीकी संस्थान, पिथौरागढ़ एवं तकनीकी संस्थान गोपेश्वर (चमोली) हेतु चालू वित्त वर्ष 2013–14 में प्रथम चरण में प्रस्तावित भवनों के निर्माणार्थ रू0 10.00 करोड़ प्रति संस्थान (50 प्रतिशत् अंश यू0टी0यू0 व 50 प्रतिशत् शासकीय अंश) व्यय किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।** **विनिश्चय** :– बैठक में उपस्थित मा0 सदस्यों द्वारा आलोच्य प्रस्ताव पर विचारोपंरात यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।
07	**विश्वविद्यालय द्वारा 2013–14 में आयोजित/सम्पन्न युवा महोत्सव पर यू0टी0यू0 बजट से अग्रिम रूप से दत्त धनराशि रू0 15.29 लाख व रू0 0.83 लाख अन्य साधनों से प्राप्त कुल धनराशि रू0 16.12 लाख के सापेक्ष समायोजन लेखानुसार भुगतान हेतु शेष रू0 1.53 लाख सहित कुल रू0 17.65 लाख व्यय किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।** **विनिश्चय** :– उक्त वर्णित प्रस्ताव पर मा0 सदस्यों द्वारा सम्यक विचारोपरांत इस मद में वित्त समिति से स्वीकृति की प्रत्याशा में किये गये व्यय रू0 16.12 लाख (रू0 सोलह लाख बारह हजार मात्र) हेतु कार्योत्तर स्वीकृति के प्रस्ताव पर अनुमोदन करते हुये भुगतान हेतु शेष धनराशि रू0 1.53 लाख (एक लाख तरेपन्न हजार मात्र)की सीमा अर्न्तगत एवं सगत नियमों की पूर्ति की अपेक्षा करते हुये प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
08	**जनपद चमोली में शैक्षिक सत्र 2013–14 से नवसृजित/स्वीकृत तकनीकी संस्थान गोपेश्वर का संचालन शासन की अपेक्षानुसार पूर्व में जारी निर्देशो के स्थान पर अब माह अगस्त, 2013 से प्रारम्भ किये जाने के निर्देश है एंवम् जी0आई0टी0 गोपेश्वर व महिला तकनीकी संस्थान,देहरादून में प्रीफैब्रिकेटड स्ट्रक्चर निर्माण कार्य तथा एस0आई0टी0, पिथौरागढ हेतु नवोदय विद्यालय का जीर्णोद्वार कार्य उ0प्र0रा0नि0नि0 (कार्यदायी संस्था) के माध्यम से गतिमान है। अतः इन तीनों संस्थानों में वित्त वर्ष 2013–14 हेतु फर्नीचर आदि की तात्कालिक आवश्कता के दृष्टिगत एंवम् शासन की अपेक्षानुसार प्रस्तावित है कि यह कार्य भी उ0प्र0रा0नि0नि0 के माध्यम से उ0ख0 अधिप्राप्ति नियमावली के संगत नियमों की औपचारिकता पूर्ति उन्ही**

	के माध्यम से कराते हुये क्रय प्रस्ताव अनुमोदनार्थ। साथ ही इस क्रम में तथ्य संज्ञानार्थ प्रस्तुत है कि उत्तराखण्ड शासन द्वारा जी0आई0टी0 गोपेश्वर की स्थापना हेतु निर्गत शासनादेश संख्या **1135/XLI-1/2011-मु0म0–8/2012** दिनांक **24.12.2012** में उक्त संस्थान का शैक्षिक सत्र दो वर्ष बाद प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया गया था। **विनिश्चय :– चूकि** इस क्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत उक्त संस्थान को दो वर्ष बाद के स्थान पर अब शैक्षिक सत्र 2013–14 से प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया है। फलस्वरूपा वित्त समिति में उपस्थित मा0 सदस्यों द्वारा समय की कमी के दृष्टिगत उक्त प्रस्ताव पर इस आधार पर सहमत होते हुये कि जी0आई0टी0,गोपेश्वर (चमोली) एवं महिला तकनीकी संस्थान, देहरादून में वर्तमान शैक्षिक सत्र 2013–14 में पूर्व से ही उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम के माध्यम से प्रीफैब्रिकेटड स्ट्रक्चर का निर्माण कार्य गतिमान है तथा एस0आई0टी0 पिथौरागढ में नवोदय विद्यालय भवन का जीर्णोद्वार कार्य भी गतिमान है।। अतः ऐसी स्थिति में मा0 सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया है कि उ0प्र0रा0नि0नि0 के माध्यम से ही फर्नीचर की तात्कालिक आवश्यकता के दृष्टिगत क्रय किया जायेगा एवं तत्सम्बन्धी संगत क्रय नियमों का अनुपालन कार्यदायी संस्था के स्तर पर सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही मा0 सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया है कि उक्त वर्णित तीनो संस्थाओं हेतु उपकरण आदि का क्रय विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2013–14 में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के संगत नियमों का अनुपालन करते हुये मांग के अनुरूप किया जायेगा।
09	**महिला तकनीकी संस्थान सुद्धोवाला एवं सीमांत तकनीकी संस्थान, पिथौरागढ़ की तात्कालिक आवश्यकता के दृष्टिगत वित्त वर्ष 2012–13 में क्रय किये गये फर्नीचर/उपकरण आदि एवं इसके सापेक्ष मार्च 2013 में दत्त भुगतान क्रमशः रू0 154.78 लाख एवं रू0 239.30 लाख कुल धनराशि रू0 394.08 लाख की क्रय सामग्री के व्यय की कार्योत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ ।** **विनिश्चय** :– इस क्रम में बैठक में उपस्थित मा0 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव का अध्ययन करते हुये एवं सम्यक विचारोपरांत वित्त समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में वित्त वर्ष 2012–13 में क्रय किये गये फर्नीचर/उपकरण आदि पर व्यय की गयी कुल धनराशि रू0 394.08 लाख पर एवं बजट की उपलब्धता के आधार पर WIT/SIT हेतु क्रय की गयी सामग्री के प्रस्ताव पर मा0 सदस्यों द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदत्त की गई।
10	**महिला तकनीकी संस्थान सुद्धौवाला एवं सीमांत तकनीकी संस्थान, पिथौरागढ़ में उनकी मांग /तात्कालिक आवश्यकता के दृष्टिगत चालू वित्त वर्ष 2013–14 के माह अप्रैल, 2013 में वित्त समिति से स्वीकृति की प्रत्याशा में क्रय किये गये फर्नीचर/उपकरण आदि क्रमशः रू0 231.57 लाख एवं रू0 293.81 लाख कुल धनराशि रू0 525.38 लाख व्यय हेतु कार्योत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।** **विनिश्चय** :– इस क्रम में बैठक में उपस्थित मा0 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव का अध्ययन करते हुये एवं सम्यक विचारोपरांत वित्त समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में वित्त वर्ष 2013–14 में WIT/SIT हेतु क्रय किये गये फर्नीचर/उपकरण आदि पर व्यय की गयी कुल धनराशि रू0 525.38 लाख पर बजट की उपलब्धता के आधार पर कार्योत्तर स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव पर सर्वसम्मति द्वारा अनुमोदन किया गया।
11	**महिला तकनीकी संस्थान, सुद्धौवाला एवं सीमांत तकनीकी संस्थान, पिथौरागढ़ हेतु शैक्षिक सत्र 2013–14 में निविदा के माध्यम से उपकरण क्रय आदि के लिये आय–व्ययक अनुमान में प्राविधानित सीमार्न्तगत प्रस्तावित क्रय का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।** **विनिश्चय** :– इस क्रम में बैठक में उपस्थित मा0 सदस्यों द्वारा वित्त वर्ष 2013–14 में संस्थान की मांग के

	दृष्टिगत वर्ष 2013–14 हेतु अति आवश्यक उपकरण आदि अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के संगत नियमों की पूर्ति करते हुये प्रस्ताव पर मा0 सदस्यों द्वारा अनुमोदन किया गया।
12	**दिनांक 15.06.2013 से 17.06.2013 के अन्तराल में उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न पर्वतीय क्षेत्रों में हुई अतिवृष्टि के कारण उत्पन्न देवीय आपदा से प्रभावितों के लिये मा0 कुलाधिपति से इस क्रम हुई वार्तानुसार/ प्राप्त मौखिक अनुमोदनानुसार वित्त समिति से स्वीकृति की प्रत्याशा में मा0 मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष उत्तराखण्ड हेतु उ0त0वि0 द्वारा प्रदत्त चैक संख्या 251667 दिनांक 24.06.2013 अंशदान की धनराशि रू0 25.00 लाख (रू0 पच्चीस लाख) पर कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।** **विनिश्चय** :– इस क्रम में बैठक में उपस्थित मा0 सदस्यों द्वारा देवीय आपदा /तात्कालिक आवश्यकता के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की ओर से वित्त समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड के आपदा राहत कोष में उपलब्ध करायी गयी सहायता राशि (अंशदान) रू0 25.00 लाख (रू0 पच्चीस लाख मात्र) के प्रस्ताव पर कार्योत्तर स्वीकृति सर्वसम्मति द्वारा प्रदत्त की गयी।
13	**जी0आई0सी0 पिथौरागढ़ में संचालित नवोदय विद्यालय के भवन को एस0आई0टी0 पिथौरागढ़ हंस्तातरण विषयक शासनादेश संख्या 510/XLI-I/13-131-11 Dated 06-06-2013 के क्रम में उक्त आवंटित भवन के जीर्णोधार हेतु उ0प्र0रा0नि0नि0 निर्माण इकाई अल्मौड़ा (कार्यदायी संस्था) के माध्यम से गठित आंगणन रू0 43.04 लाख के सापेक्ष मांग पत्र एवं इस क्रम में निदेशक, एस0आई0टी0 पिथौरागढ़ के संस्तुति पत्र तथा आवंटित भवन की संस्थान हेतु दिनांक 01.08.2013 से तात्कालिक आवश्यकता के दृष्टिगत वित्त समिति से स्वीकृति की प्रत्याशा में प्रदत्त धनराशि रू0 15.00 लाख (रू0 पन्द्रह लाख) के कार्योत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।** विनिश्चय :– इस क्रम में बैठक में उपस्थित मा0 सदस्यों द्वारा निर्णय लेते हुये अपेक्षा की गयी कि कार्यदायी संस्था द्वारा गठित आगंणन का सक्षम अधिकारी से तकनीकी परीक्षण एवं यू0टी0यू0 हेतु अनुमोदित भवन समिति से तकनीकी अनुमोदन उपरांत तद्नुसार स्वीकृत आगणन की सीमा अर्न्तगत एवं संगत नियमों का अनुपालन करते हुये वर्णित कार्य पर उक्त सीमा तक व्यय किये जाने की स्वीकृति सर्वसम्मति द्वारा प्रदत्त की गयी । साथ ही इस कार्य पर वित्त समिति से स्वीकृति की प्रत्याशा में प्रथम किस्त के रूप में पूर्व प्रदत्त धनराशि रू0 15.00 लाख के प्रस्ताव पर कार्योत्तर स्वीकृति भी मा0 सदस्यों द्वारा प्रदत्त की गयी।
14	**श्री पंकज बौड़ाई, सम्पादक उत्तराखण्ड आज द्वारा मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित क्रीमिनल मिसलिनियस एप्लीकेशन संख्या 898/2012 पंकज बौड़ाई बनाम उत्तराखण्ड राज्य व (अन्य)/ प्रो0 डी0एस0 चौहान, कुलपति उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून (प्रतिवादी) की ओर से मा0 न्यायालय में विश्वविद्यालय /कुलपति की गरिमा के दृष्टिगत वाद की पैरवी हेतु मा0 कुलपति द्वारा वित्त समिति से अनुमोदन की प्रत्याशा में नामित अधिवक्ता श्री जे0 डी0 जैन, (पूर्व अपर महाअधिवक्ता,उत्तराखण्ड शासन)को प्रदत्त विधिक शुल्क एवं अन्य व्यय की धनराशि रू0 1.00 लाख (रू0 एक लाख मात्र) की प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।** विनिश्चय :– इस क्रम में कुलपति महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित मा0 सदस्यों को आलोच्य प्रकरण पर विस्तार से अवगत कराया गया । इस सम्बन्ध में कार्यवृत्त के साथ "परिशिष्ट K" पर उपलब्ध संगत वाद सम्बन्धी लेखसाक्ष्यों एवं मा0 न्यायालय, सेशन जज, देहरादून द्वारा इस क्रम में राज्य सरकार व अन्य /विश्वविद्यालय/कुलपति के पक्ष में प्रदत्त निर्णय पत्र का सम्यक अध्ययन किये जाने के उपरांत अधिवक्ता श्री जै0डी0जैन को पूर्व प्रदत्त धनराशि रू0 01.00 लाख (रू0 एक लाख मात्र) की प्रतिपूर्ति विश्वविद्यालय निधि से विश्वविद्यालय/कुलपति की गरिमा के दृष्टिगत सहमत होते हुये उक्त धनराशि की प्रतिपूर्ति के

	प्रस्ताव पर मा0 सदस्यों द्वारा इन उपबन्धों के अन्तर्गत अनुमोदित किया गया कि उक्त भुगतान से पूर्व डॉ0 एम0सी0जोशी, अपर सचिव वित्त, से वित्तीय एवं वैधानिक दृष्टिकोण से परीक्षण करा लिया जाय। साथ ही यह भी अपेक्षित है कि यदि वादी पर मा0 न्यायालय द्वारा कोई अर्थदण्ड आरोपित होता है तो वह धनराशि विश्वविद्यालय निधि में जमा की जायेगी।
15	**चालू वित्त वर्ष 2013–14 का आय व्ययक अनुमान अनुमोदनार्थ।** **विनिश्चय** :– इस क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा वित्त वर्ष 2013–14 हेतु चार संघटक संस्थानों सहित कुल अनुमानित आय रू0 65.20 करोड़ (रू0 पैसठ करोड़ बीस लाख मात्र) एवं इसके सापेक्ष कुल अनुमानित व्यय रू0 78.29 करोड़ (रू0 अटहत्तर करोड़ उन्नत्तीस लाख मात्र) के प्रस्तुत आय–व्ययक अनुमान का वित्त समिति में उपस्थित मा0 सदस्यों द्वारा मदवार अवलोकन एवं सम्यक अध्ययन किया गया तथा पर्याप्त विचारविमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत बजट मे दर्शित/अनुमानित आधिक्य रू0 13.09 करोड़ की पूर्ति प्रस्ताव के अनुरूप शासन द्वारा समय–समय पर जारी मितव्ययता निर्देशों का अनुपालन करने के साथ ही सम्बद्ध विभिन्न संस्थानों की ओर विगत वर्षो से लम्बित बकाया की वसूली ततपरता से एंव कड़ाई के साथ किया जाना अपेक्षित है। इस क्रम में मा0 सदस्यों द्वारा यह भी अपेक्षित है कि संगत लेखाशीर्षक में उपलब्ध आय की सीमा तक व्यय सीमित/नियंत्रित रखे जाने का प्रयास किया जायेगा। फिर भी उक्त वर्णित उपायों से आधिक्य की पूर्ति न होने पर विशेष/अपरिहार्य स्थिति में ही संगत नियमों की पूर्ति करते हुये उपलब्ध/संचित सावधी जमा की धनराशि से आवश्यकतानुसार आंशिक धनराशि आहरित कर व्यय किये जाने का प्रस्ताव मा0 सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया गया। साथ ही अनुमानित आय–व्ययक वित्त वर्ष 2013–14 के साथ प्रस्तुत परीक्षा संचालन दरें एवं परीक्षा मूल्यकांन दरों के प्रस्ताव पर सहमत होते हुए यथा प्रस्ताव अनुमोदित की गई तथा मा0 कुलपति के प्रस्ताव पर एंव् इस राज्य में आई दैवी आपदा के दृष्टिगत विश्वविद्यालय का शुल्क ढाँचा 2012–13 के अनुरूप यथावत रखे जाने पर मा0 सदस्यों द्वारा सहमति प्रदत्त की गई। इसके अतिरिक्त मा0 कुलपति के प्रस्ताव पर ऑन डिमॉड बैस स्पेशल परीक्षा शुल्क रू0 2500/– प्रति विषय के स्थान पर रू0 1000/– (एक हजार मात्र) का प्रस्ताव भी मा0 सदस्यों द्वारा अनुमोदन किया गया।
16	**वित्त वर्ष 2012–13 का अंतिम पुनरीक्षित आय व्ययक विवरण सज्ञांनार्थ एवं आधिक्य व्यय कुल धनराशि रू0 390.97 लाख की कार्योत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।** **विनिश्चय** :– इस क्रम में बैठक में उपस्थित मा0 सदस्यों द्वारा सम्यक अध्ययन उपरान्त वित्त वर्ष 2012–13 के अन्तिम पुनरीक्षित आय–व्ययक विवरण में दर्शित आधिक्य व्यय की कुल धनराशि रू0 390.97 लाख के प्रस्ताव पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदत्त की गयी।
17	**अन्य बिन्दु मा0 कुलपति/अध्यक्ष महोदय की अनुमति से ।** 01. **विश्वविद्यालय के नवसृजित संघटक तकनीकी संस्थान गोपेश्वर, (चमोली) की स्थापना विषयक शासनादेश संख्या 1135/XLI-1/2011-मु0नं0–8/2012 दिनांक 24.12.2012 की छायाप्रति संज्ञानार्थ।** 02. **विश्वविद्यालय से सम्बद्ध /संचालित संस्थानों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को श्री देवसुमन विश्वविद्यालय में स्थानातंरण विषयक शासनादेश संख्या 166/XXOV(6)/2013 Dated 02-05-2013 एवं मा0 कुलपति महोदय के पत्रांक 6229 दिनांक 14.02.2013 की छायाप्रति संज्ञानार्थ।** 03. विश्वविद्यालय हेतु वित्त वर्ष 2013–14 में अतिरिक्त सृजित पदों विषयक शासनादेश संख्या 1088/**XLI-1/12-39/2005 Dated 28-03-2013,** की छायाप्रति संज्ञानार्थ। **(Annexure -P**

04. सीमांत तकनीकी सस्थान पिथौरागढ़ हेतु शासनादेश संख्या 43/**XXI-1/2013-81/2010 Dated 16-01-2013** द्वारा सृजित पदों का जी0ओ0 संज्ञानार्थ।

विनिश्चय :–उक्त बिन्दु संख्या 01 से 04 पर मा0 सदस्यों द्वारा संगत शासनादेशें का अवलोकन किया गया एवं कोई टिप्पणी नही की गयी।

05. **महालेखाकार /विभागीय लम्बित ऑडिट प्रस्तरों की सूचना संज्ञानार्थ।**

विनिश्चय :– इस क्रम में लम्बित प्रस्तरों पर मा0 सदस्यों द्वारा अपेक्षा की गयी कि महालेखाकार /विभागीय लम्बित ऑडिट प्रस्तरों के त्वरित निस्तारण हेतु सक्रिय कार्यवाही समय–समय पर अपरिहार्य है तथा यह भी अपेक्षित है कि इस क्रम में विश्वविद्यालय स्तर पर गठित ऑडिट समिति द्वारा इस कार्य की त्रैमासिक समीक्षा की जायेगी एवं तद्नुसार त्रैमासिक प्रगति सूचना शासन को भी समय–समय पर उपलब्ध करायी जायेगी।

06. **सत्र 2013–14 से प्रस्तावित/स्वीकृत नवसृजित तकनीकी संस्थान गोपेश्वर (चमोली) के भवन सम्बन्धी प्रस्तावित प्रथम चरण कार्य के सापेक्ष प्रीफेब्रिकेटड स्ट्रक्चर निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा गठित आंगणन रू0 397.09 लाख का प्रस्ताव संज्ञानार्थ/अनुमोदनार्थ।**

विनिश्चय :– चूंकि शासन की अपेक्षानुसार जी0आई0टी0,गोपेश्वर की प्रथम सेमेस्टर की कक्षाये माह अगस्त 2013 से प्रारम्भ की जानी प्रस्तावित है जिस हेतु वहां पर सरकारी अथवा गैर सरकारी भवन उपलब्ध न होने पर प्रथम चरण हेतु प्रस्तावित कार्य के सापेक्ष प्रीफेब्रिकेटड स्टील स्ट्रक्चर के प्रस्तावित कार्य हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा गठित आंगणन रू0 397.09 लाख पर तकनीकी परीक्षण/स्वीकृति के आधार पर तद्नुसार स्वीकृत व्यय सीमा तक नियमानुसार वित्त वर्ष 2013–14 में व्यय किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

07. सीमांत तकनीकी संस्थान, पिथौरागढ़ के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था (उ0प्र0रा0नि0नि0, अल्मोड़ा यूनिट–02) से शासन के पत्रांक 234/XLI-I/2012–127/11 दिनांक 31 मई, 2013 के क्रम में अभी–तक आगणन प्रत्याशित है। इस क्रम में कार्यदायी संस्था द्वारा सूच्य है कि तत्सम्बन्धी ड्राइंग/डिजाईन का कार्य वास्तुविद् के माध्यम से गतिमान है। बिन्दु संज्ञानार्थ ।

08. विश्वविद्यालय की महिला तकनीकी संस्थान, सुद्धौवाला के आवासीय/अनावासीय भवनों हेतु कार्यदायी संस्था से आगणन अभी–तक प्रत्याशित है। कार्यदायी संस्था द्वारा सूच्य है कि तत्सम्बन्धी ड्राइंग/डिजाईन का कार्य वास्तुविद् के माध्यम से गतिमान है। बिन्दु संज्ञानार्थ ।

09. गोपेश्वर तकनीकी संस्थान (चमोली) के प्रथम चरण भवन कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि रू0 39.72 लाख के सापेक्ष कार्यदायी संस्था को शासकीय अंश रू0 19.86 लाख एवं यू0टी0यू0 अंश रू0 19.86 लाख कुल रू0 39.72 लाख की धनराशि पूर्व ही माह जून, 2013 में कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जा चुकी है। कृत कार्य की प्रगति कार्यदायी संस्था से प्रत्याशित है। बिन्दु संज्ञानार्थ ।

विनिश्चय :– उक्त बिन्दु संख्या 07 से 09 पर मा0 सदस्यों द्वारा कोई टिप्पणी नही की गयी।

10. सुद्धौवाला में निर्माणाधीन प्रशासनिक भवन में निर्मित ऑडिटोरियम का प्रयोग विश्वविद्यालय एवं महिला तकनीकी संस्थान की विविध आवश्यकता के दृष्टिगत आलोच्य हॉल बहुउद्देश्य बनाना

प्रस्तावित है। इसमें मुख्यत : विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह,कार्यशाला,गोष्ठी, युवा महोत्सव आदि आयोजन एवं महिला तकनीकी संस्थान के विविध कार्य सम्मिलित है। तत्सम्बन्धी प्रारम्भिक आगणन रू0 667.13 लाख का प्राप्त है जिस पर आगणन में वर्णित कार्य भी कार्यदायी संस्था के माध्यम से संगत नियमों की अग्रेत्तर औपचारिकता पूर्ति करते हुए क्रियान्वयन एवं व्यय प्रस्तावित है। प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

विनिश्चय :– इस क्रम में मा0 सदस्यों द्वारा सम्यक विचारोपरांत उक्त कार्य हेतु ऑडिटोरियम की प्रस्तावित बहुउद्देश्यीय आवश्यकता की दृष्टि से सहमत होते हुये निर्णय लिया गया कि गठित आंगणन पर नियमानुसार तकनीकी परीक्षण/स्वीकृति के उपरांन्त ओचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि के अन्तर्गत वित्त वर्ष 2013–14 में क्रियान्वयन एवं यथानियम व्यय किये जाने का प्रस्ताव मा0 सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया गया।

अन्त में बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा मा0 कुलपति महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक सम्पन्न हुई।

(प्रमोद कुमार जोशी)
वित्त नियत्रंक/संयोजक

(प्रो0डी0एस0 चौहान)
कुलपति/अध्यक्ष

(राकेश शर्मा)
प्रमुख सचिव
वित्त एंव तकनीकी शिक्षा
उत्तराखण्ड शासन